(2009)8 एस.सी.आर.303

मोती लाल व अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

(दाण्डिक अपील संख्या 117 / 2003)

मई 05, 2009

{न्यायमूर्तिगण डॉ० अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली।}

दंड संहिता, 1860–धारा 302 सपठित धारा 34–हत्या–आरोपी– अपीलकर्ताओं की सजा – औचित्य–अभिनिर्धारित तथ्यों पर, उचित नहीं–प्रथम सूचना आख्या दर्ज करने और जांच के संचालन के समय में विसंगति थी। इलाका मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में अधिक विलंब हुआ–विसंगतियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया,– अभियोजन आरोपों को प्रमाणित करने में विफल रहा–तदनुसार दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 157

एक व्यक्ति की हत्या से जुड़े प्रकरण में, अपीलकर्ता दाण्डिक अपील सं० 117/2003 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया था।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ताओं ने दाण्डिक अपील सं० 117/2003 में प्रथम सूचना आख्या दर्ज करने और जांच के संचालन के समय में विसंगति और इलाका मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में विलंब के आधार पर उनकी सजा को चुनौती दी गई।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया–

1. यदि किसी मामले में समय पर प्रथम सूचना आख्या दर्ज की जाती है और तुरंत जांच की जाती है, तो इलाका मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट की देरी से प्राप्ति अभियोजन के लिए घातक नहीं होगी। यद्यपि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता। इस अधिनियम की धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के पीछे एक उद्देश्य है, आख्या को अविलंब भेजने की वैधानिक आवश्यकता ही रिपोर्ट भेजने से जुड़ी तात्कालिकता को दर्शाती है। किसी दिए गए प्रकरण में, विलंबित

प्रेषण या विलंबित प्राप्ति के कारणों को इंगित करना अभियोजन के लिए खुला है। इसे साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्वेषण आख्या और प्रथम सूचना आख्या में अंकित समय में अस्पष्ट विसंगति को भी ध्यान में रखना होगा। (पैरा 6) (307–ए.सी.)

2. यह अभियोजन पक्ष का कथन है कि प्रथम सूचना आख्या सुबह 10.50 बजे अंकित की गई थी। यदि ऐसा था, तो जांच अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर

विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से यह बताना आवश्यक था कि उस समय सुबह 10.30 बजे कैसे जांच की गई थी। जब उस समय पर प्रथम सूचना आख्या आस्तित्व में ही नहीं थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की इस तर्क को गंभीरता रहित होकर निरस्त कर दिया कि जांच अधिकारी की ओर से त्रुटि हो सकती है। यह सत्य है कि एक दोषपूर्ण जांच एक निर्धारक कारक नहीं हो सकता है और एक विश्वसनीय अभियेाजन संस्करण को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इन विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऊपर उजागर किये गये कारकों के संचयी प्रभाव से पता चलेगा कि अभियेाजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में बुरी तरह विफल रहा है। (पैरा 6) (307-सी-ई)

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2003 की आपराधिक अपील संख्या-117

दाण्डिक अपील संख्याओं-2003 की 118; 2003 की 119; 2003 की 120

के साथ

दाण्डिक सं0 429/96 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के खण्डपीठ में दिनांक 02.04.2002 के निर्णय एवं आदेश;

अपीलकर्ताओं की ओर से दिनेश कुमार गर्ग, वी.के.बीजू, विक्रांत यादव, सिबू एस. मिश्रा, एम.सी. ढींगरा और प्रवीण स्वरूप।

उत्तरदाताओं की ओर से मनीष सिंघवी, ए0ए0जी0 मिलिन्द कुमार, दिनेश कुमार गर्ग ए. और के. शारदा देवी।

न्यायालय का निर्णय न्यायामूर्ति डॉ0 अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

न्यायामूर्ति डॉ0 अरिजीत पसायत,

1- इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खण्डपीठ के फैसले

को दी गयी है, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है। (संक्षेप में "आई.पी.सी.")। 11.11.1993 को एक ज्ञान चन्द्र (बाद में "मृतक" के रूप में संदर्भित) की कथित तौर पर हत्या करने के लिए 8 व्यक्तियों को मुकदमें का सामना करना पड़ा, जो कि एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए चुनाव के दिन हुआ था। आरोपी व्यक्तियों में से एक को ट्रायल कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था और सात व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई.पी.सी.") की धारा 149 और 148 सपठित धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। उन्हें कुछ छोटे अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष तीन अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया गया। दो लोगों को धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया जबकि एक आरोपी की दोषसिद्धि को धारा 324 और 341 भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित कर दिया गया था। उसे पहले से ही बिताई गई अभिरक्षा की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2- अभियेाजन पक्ष का संस्करण मुख्य रूप से तीन चक्षुदर्शी साक्षीगण के साक्ष्य

पर आधारित था। उनमें से एक मृतक की मॉ थी और अन्य दो घायल साक्षीगण थे। आरोपी व्यक्तियों ने स्वयं को निर्दोष बताया। उनके अनुसार मृतक और दो कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण मतदान के दिवस गड़बड़ी पैदा कर रहे थे ओर इसलिए जनता उद्वेलित थी और इस प्रक्रिया में उन्हें पीटा गया होगा परन्तु राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण आरोपी व्यक्तियों को झूठा फसाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने तीन चक्षुदर्शी साक्षीगण पर विश्वास किया और दोषसिद्धि अंकित की एवं उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई। अपील में, मूल रूप से यह रुख अपनाया गया कि प्रथम सूचना आख्या की पूर्व डेटिंग की गई थी। कथित तौर पर 11.11.1993 को सुबह लगभग 10.50 बजे रिपोर्ट अंकित की गई थी। इलाका मजिस्ट्रेट को यह 16.11.1993 को प्राप्त हुई। विलम्ब की व्याख्या नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त घटनास्थल भी परिवर्तित कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि प्रथम सूचना आख्या की पूर्व डेटिंग इस तथ्य से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के स्वीकार किए गए मामले में प्रथम सूचना

आख्या 11.11.1993 को सुबह 10.50 बजे अंकित की गई थी परन्तु यह आश्चर्यजनक है कि जांच आख्या से पता चलता है कि जांच सुबह 10.30 बजे प्रारम्भ हुई। उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का रुख यह था कि केवल इसलिए कि इलाका मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना आख्या प्रेषित करने में विलम्ब हुआ, अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं किया सकता है। दो घायल साक्षीगण थे, यद्यपि प्रथम सूचना आख्या और पूछताछ में बताए गए समय के मध्य विसंगति थी, यह जांच अधिकारी की ओर से एक त्रुटि थी और यह आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में एक कारक नहीं हो सकता है।

3- उच्च न्यायालय ने राज्य के अभिमत को स्वीकार किया और जैसा कि उल्लेख किया गया है, दोषसिद्धि अंकित की गई।

4- अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तागण ने निवेदित किया कि अभियोजन पक्ष का संस्करण इतना कमजोर है कि उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे एक नहीं अपितु कई कारक थे जो दर्शाते हैं कि अभियोजन स्वच्छ हाथों से सामने नहीं आया। उच्च न्यायालय को प्रथम सूचना आख्या अंकित करने और अन्वेषण आख्या के संचालन के समय में विसंगति को उपेक्षित नहीं करना चाहिए था। यह तथ्य कि इलाका मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित करने में अत्यन्त विलम्ब हुआ और कथित घटना स्थल पर खून की अनुपस्थिति बहुत प्रासंगिक है। अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, मृतक को 19 चोटें लगीं, परन्तु घटनास्थल से जो खून के धब्बे एकत्रित किए गए थे, वे इतने कम थे कि उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा जा सका।

5- दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया। उनका कहना है कि अगर जांच में कोई कमी रही भी है तो वह आरोपी के पक्ष में कारक नहीं हो सकती।

6- यह सत्य है जैसा कि उच्च न्यायालय ने प्रेक्षित किया है कि यदि किसी दिये गये मामले में प्रथम सूचना आख्या समय पर अंकित की जाती है और अविलम्ब जांच की जाती है, तो इलाका मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट के विलम्ब से प्राप्ति अभियोजन

के लिए घातक नहीं होगी। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता")

मोती लाल व अन्य

के अधिनियम की धारा 157 के पीछे एक उद्देश्य है। वैधानिक आवश्यकता यह है कि रिपोर्ट को अविलम्ब प्रेषित किया जाना चाहिए, यह स्वयं ही दर्शाता है कि रिपोर्ट भेजने की तात्कालिकता जुड़ी हुई है। किसी दिए गए मामले में विलंबित प्रेषण या विलंबित प्राप्ति के कारणों को इंगित करना अभियोजन पक्ष के लिए खुला है। इसे साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जांच आख्या और प्रथम सूचना आख्या में अंकित समय में अस्पष्ट विसंगति को भी ध्यान में रखना होगा। अभियोजन पक्ष का अभिमत है कि प्रथम सूचना आख्या प्रातः 10.50 को अंकित की गई थी। यदि ऐसा था, तो जांच अधिकारी द्वारा रिकार्ड पर मौजूद विश्वसनीय साक्ष्यों के द्वारा यह अवगत कराना आवश्यक था कि उस समय प्रातः 10.30 बजे कैसे जांच की गई, ऐसे समय जब प्रथम सूचना आख्या अंकित नहीं की गई थी और प्रथम सूचना आख्या अस्तित्व में नहीं थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की इस दलील को गम्भीरता रहित हो कर निरस्त कर दिया कि यह जांच अधिकारी की ओर से त्रुटि हो सकती है। यह सत्य है कि एक दोषपूर्ण अन्वेषण निर्धारक कारक नहीं हो सकता है और एक विश्वसनीय अभियोजन संस्करण को सामने लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, ऊपर उजागर किए गए कारकों का संचयी प्रभाव यह दिखाएगा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में बुरी तरह विफल रहा है। अपील सफल होती है। दिनांक 12.07.2004 के जमानत आदेश को प्रभावी करने के लिए निष्पादित जमानत बांड उन्मोचित माने जायेंगे।

न्यायालय के निम्नलिखित आदेश उद्घोषित हुएः

2003 के आपराधिक अपील सं0 118

नंद किशोर उर्फ नंदा.....अपीलकर्ता (ओ)

बनाम

राजस्थान राज्य .....विपक्षी (ओ)

2003 की दाण्डिक अपील सं0117 में पारित निर्णय के अनुसार यह अपील सफल होने योग्य है जिसका हम निर्देश देते हैं।

2003 की दाण्डिक अपील सं0 119

(2009)8 एस.सी.आर.303

राजस्थान राज्य.....अपीलकर्ता (ओ)

बनाम

फूल चन्द्र और अन्य .....विपक्षी (ओ)

आदेश

2003 की दाण्डिक अपील सं0 117 में पारित निर्णय के अनुसार यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है जिसका हम निर्देश देते हैं।

2003 की दाण्डिक अपील संख्या-120

राजस्थान राज्य.....अपीलकर्ता (ओ)

बनाम

मोती लाल एवं अन्य .....विपक्षी (ओ)

आदेश

2003 की दाण्डिक अपील सं0 117 में पारित निर्णय के अनुसार यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है, जिसका हम निर्देश देते हैं।

अपीलें निस्तारित।

नीतिवान निगम
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर सिविल जज (सी०डि०),कक्ष संख्या-17,
प्रयागराज। जे०ओ० कोड. 2232